136

माननीय न्यायालय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर ।

प्रकरण कमांक / 2015 –2016 पुनरीक्षण । निग – 2778 – I – 16

सरफुद्दीन पुत्र रसूल खॉ आयु 70 साल निवासी नया बालापुरा मस्जिद के सामने श्यौपुर तहसील श्यौपुर जिला श्यौपुर मध्य प्रदेश । ––––आवेदक

बिरूद्ध

1–श्रीमति शान्ति देवी पत्नी स्वर्गीय श्री औम प्रका
2–यदुनन्दन कुमार पुत्र श्री औम प्रकाश जी बंसल
3–गणेश कुमार पुत्र श्री औम प्रकाश जी बंसल
4–चेतन कुमार पुत्र श्री औम प्रकाश जी बंसल
5–पिनांक कुमार पुत्र श्री औम प्रकाश जी बंसल
समस्त निवासियान मेन बाजार श्यौपुर मध्य प्रदेश।
6–श्रीमति सुशीला पुत्री औम प्रकाश बंसल पत्नी राधेश्याम मित्तल निवासी दादाबाडी कोटा राजस्थान।
7–श्रीमति हेमतला गर्ग पुत्री औम प्रकाश बंसल पत्नी श्री अशोक कुमार जी गर्ग निवासी बून्दी राजस्थान।
8–श्री मति गायत्री पुंत्री औम प्रकाश जी पत्नी बिनोद कुमार अग्रवाल निवासी रतलाम मध्य प्रदेश।
9–श्री मति यमुना पुत्री औम प्रकाश पत्नी श्री बिजयकुमार गर्ग निवासी बून्दी राजस्थान।
10–श्रीमति भारती गुप्ता पुत्री औम प्रकाश पत्नी दिनेश गुप्ता निवासी जयपुर राजस्थान।
2–सुरेन्द्र कुमार पुत्र माधो लाल बंसल आयु 56 साल जाति वैश्यय निवासी मैन बाजार सुनारो के मन्दिर के सामने श्यौपुर जिला श्यौपुर । –––अनावेदकगण।

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा आज दि. 16-8-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.8.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
16-8-16 एडवोकेट
ग्वालियर

माननीय न्यायालय तेहसीलदार श्यौपुर के प्र0क0 162/2015–2016 बी/121 में दिनांक 13.06.2016 एवम् 11.07.2016 को लिखी गई आदेश पत्रिका के बिरूद्ध पुनरीक्षण आवेदन पत्र ।

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता।

मान्यवर महोदय ,

आवेदक की और से पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नलिखित पेश है :–––––

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि माननीय न्यायालय तेहसीलदार श्यौपुर के **प्र0क0 162/2015–2016 बी/121** मे नियत पेशी दिनांक 80.08.2016 की तामील आवेदक को प्राप्त हुई थी उपरोक्त तामील की प्राप्ति पर आवेदक माननीय अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ । उपरोक्त प्रकरण में उपस्थित होने पर प्रकरण का अवलोकन किया गया तो आवेदक को जानकारी हुई कि उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 13.06.2016 एवम् 11.07.2016 को यह आदेश पत्रिका लिखी गई ।

"13.06.2016 आवेदक सुरेन्द्र कुमार बंसल पुत्र स्व0 माधोलाल बंसल निवासी मैन बाजार श्यौपुर की और से अभिभाषक श्री सी0बी0दर्पे के माध्यम से श्रीमान् अनुबिभागीय अधिकारी महोदय के प्रकरण क्रमांक 12/2005–2006 अपील माल आदेश दिनांक 30.01.2016 को अमल किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।"

2/–प्रकरण बी –121 में दर्ज हो।

3/–मूल प्रकरण मंगाया जावे।

पेशी दिनांक 11.07.2016

नि. हं. सरफुद्दीन

क्रमशः–––––––2

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 2778–एक/2016 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभा''ाकों के हस्ताक्षर
17–8–16	यह निगरानी तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण कमांक 162/2015–16 बी–121 में लिखी गई आर्डरशीट दिनांक 13–6–2016 एंव 11–7–2017 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता एंव प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि निगरानी मेमो में अंकित अनावेदक क–1 से 10 के वाद सरल कमांक 2 लिखकर अंकित किये गये अनावेदक सुरेन्द्र कुमार ने तेहसीलदार श्योपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 12/05–06 अपील में पारित आदेश दिनॉक 30–1–16 के पालन में अभिलेख सुधारने की प्रार्थना की, जिस पर से तहसीलदार ने प्रथम आर्डरशीट दिनांक 13–6–2016 से प्रकरण कमांक 162/2015–16 बी–121 दर्ज कर मूल अभिलेख मंगाये जाने का निर्णय लिया है। इसके वाद	

दिनांक 11–7–16 को पीठासीन अधिकारी के उपस्थित न होने के कारण प्रवाचक ने पक्षकारों को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने हेतु आगामी तिथि 8–8–16 दी है। इन्हीं दोनों अंतरिम आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है एंव आवेदक के अभिभाषक ने निगरानी का आधार यह लिया है कि अनावेदक सुरेन्द्र कुमार का आवेदन पूर्व प्रकरण पर न लेते हुये नवीन प्रकरण दायर करने में गलती की गई है जबकि तहसीलदार की आर्डरशीट दिनांक 13–6–16 से स्पष्ट है कि उन्होंने पूर्व का प्रकरण मॅगाने का निर्णय इस अंतरिम आदेश से लिया है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है। विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत करने से प्रतीत होता है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय के प्रकरण में विलम्ब करने के उद्धेश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की है जो ग्राह्य योग्य एंव प्रचलन–योग्य न होने से इस–स्तर पर समाप्त की जाती है। इस आदेश की एक प्रति तहसीलदार श्योपुर को भेजी जावे।

सदस्य